भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2554
मंगलवार, 10 अगस्त, 2021/19 श्रावण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

'प्रसाद' योजना की ऑनलाइन उपलब्धता

2554. श्री प्रशांत नन्दा:
क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने 'प्रसाद' योजना की ऑनलाइन उपलब्धता स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) यदि हां, तो 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत ऑनलाइन सेवाओं के लिए कितने उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है; और
(ड.) 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत मोबाइल ऐप्लिकेशन की शुरुआत करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर
पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): प्रशाद योजना के तहत केवल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त अनुरोध/प्रस्तावों के अनुसार पहले से चयनित गंतव्यों में आवश्यकता अंतराल विश्लेषण आधार पर तीर्थयात्रा/धार्मिक और विरासत पर्यटन अवसंरचना के सृजन के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । चूंकि इस योजना के तहत निजी पक्षों तथा व्यक्तियों/नागरिकों को कोई निधि जारी नहीं की जाती है अत: परियोजनाओं के अनुमोदन तथा निधियां जारी किए जाने और उनकी उपयोगिता हेतु ऑनलाइन उपस्थिति तथा मोबाइल एप्लीकेशन अपेक्षित नहीं है । इस योजना का मोबाइल एप्लीकेशन लांच करने के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई है । तथापि इस योजना के तहत अनिवार्य रूप से वित्त मंत्रालय के ऑनलाइन पीएफएमएस (सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस पीएफएमएस पोर्टल पर व्यय का ब्यौरा दिया जाना अपेक्षित है । अत: सभी संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इस पीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थित हैं ।

*****